लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 188वीं बैठक दिनांक
02 नवम्बर, 2026 का कार्यवृत्त

लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की **188वीं बैठक, बोर्ड अध्यक्ष श्री विजय विश्वास पन्त, आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ** की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित सदस्य/अधिकारी उपस्थित हुए:–

उपस्थिति:–

01.	श्री प्रथमेश कुमार	उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
02.	श्री कमलेश कुमार गोयल	अपर जिलाधिकारी (भू0अ0), प्रतिनिधि–जिलाधिकारी, लखनऊ।
03.	श्री कुलदीप सरोज	अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, लखनऊ मण्डल, प्रतिनिधि–अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
04.	श्री कृष्ण मोहन	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग।
05.	श्री राजेन्द्र कुमार यादव	अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), लखनऊ प्रतिनिधि–प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
06.	श्री महेश वर्मा	मुख्य अभियन्ता, नगर निगम, लखनऊ प्रतिनिधि–नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
07.	श्रीमती प्रीति श्रीवास्तव	संयुक्त निदेशक (पर्यटन) प्रतिनिधि–महानिदेशक, पर्यटन, लखनऊ।
08.	श्रीमती कीर्ति साहू	अपर संख्यिकी अधिकारी, लखनऊ प्रतिनिधि–संयुक्त आयुक्त–उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
09.	श्री पुष्कर शुक्ला	सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण। (ऑन–लाइन माध्यम से)
10.	श्री पी0एन0 सिंह	सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण।

अन्य उपस्थिति:–

13.	श्री एस0पी0 सिंह	सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
14.	श्री सी0पी0 त्रिपाठी	अपर सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
15.	श्री ज्ञानेन्द्र वर्मा	अपर सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
16.	श्री अरविन्द कुमार द्विवेदी	संयुक्त सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
17.	श्री अनिल कुमार सिंह	वित्त नियंत्रक, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
18.	श्री के0के0 गौतम	मुख्य नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
19.	श्री सोम कमल सीताराम	संयुक्त सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
20.	श्री विशाल यादव	प्रभारी अधिशासी अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
21.	श्री देवांश त्रिवेदी	विशेष कार्याधिकारी, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
22.	श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव	लेखाधिकारी, लखनऊ विकास प्राधिकरण।

सर्वप्रथम् उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड/आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ का औपचारिक स्वागत किया गया। तदुपरान्त बोर्ड बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। बोर्ड बैठक की विषय सूची में सम्मिलित विभिन्न विषयों/मदों पर निम्नवत् निर्णय लिया गया:–

मद सं0	विषय	निर्णय
188/1	लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 187वीं बैठक दिनांक 20.03.2026 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।	प्राधिकरण की 187वीं बैठक में प्रतिभाग करने वाले समस्त मा0 सदस्यों को कार्यवृत्त प्रेषित किया गया था, कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। अतः सर्वसम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।
188/2	लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 187वीं बैठक दिनांक 20.03.2026 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।	प्रस्तुत की गई अनुपालन आख्या का बोर्ड द्वारा अवलोकन किया गया।
188/3	**परिचालन के माध्यम से पारित 04 प्रस्ताव दिनांक 21.04.2026 का पुष्टिकरण :–** 3.1 लखनऊ विकास प्राधिकरण के द्वारा/	

	विरूद्ध विभिन्न मा0 न्यायालयों में योजित वादों में विभाग की ओर से प्रभावी पैरवी हेतु शक्तियों के प्रतिनिधायन के सम्बन्ध में। 3.2 गोमती नगर विस्तार सेक्टर–06 में नियोजित weekly Market एवं आवासीय भूखण्ड सं0–6/सी. 955 को पुनः नियोजित करते हुए तलपट मानचित्र में संशोधन के सम्बन्ध में। 3.3 लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना की भूमि का भू–उपयोग 'कृषि' से 'आवासीय' भू–उपयोग में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में। 3.4 सी0जी0 सिटी योजना के तलपट मानचित्र के संशोधन के सम्बन्ध में।	परिचालन के माध्यम से तत्समय पारित प्रस्ताव दिनांक 21.04.2026 को नियमित बोर्ड बैठक द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
188/4	**परिचालन के माध्यम से पारित 08 प्रस्ताव दिनांक 29.05.2026 का पुष्टिकरण :–** 4.1 लखनऊ विकास प्राधिकरण की नवीन वेलनेस सिटी, आई0टी0 सिटी एवं अन्य योजनाओं के अन्तर्गत स्थित ग्रामों के हितबद्ध कास्तकारों की भूमि का भूमि जुटाव का कार्य, भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–239/8–3–19–152 विविध/17 दिनांक 20.02.2019 के तहत लैण्ड पूलिंग के माध्यम से भूमि जुटाव संबंधी (SOP) निर्धारण/आपसी सहमति से क्रय/अधिग्रहण के सम्बन्ध में। 4.2 मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नई शहरी प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत वरूण विहार आवासीय योजना के विस्तारित क्षेत्र में ग्राम आदमपुर इन्दवारा क्षे0–96.0237 हे0, बहरू क्षे0–128.0224 हे0, भलिया क्षे0–56.5431 हे0, गहलवारा क्षे0–2.4055 हे0, जलियामऊ क्षे0–20.9600 हे0 एवं रेवरी क्षे0–15.5151 हे0 अर्थात कुल क्षे0–319.4698 हे0 एवं उक्त ग्रामों में ग्रामसभा की कुल क्षे0–97.580हे0 भूमि को वरूण विहार योजना में सम्मिलित करते हुए आपसी सहमति से क्रय/ अधिग्रहण/पुनर्ग्रहण के माध्यम से भूमि जुटाव करने करने के संबंध में। 4.3 आई0टी0 सिटी योजना के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों में लैण्ड पूलिंग के माध्यम से प्राप्त 10 एकड़ या उससे अधिक भूमि के सापेक्ष 50 प्रतिशत अविकसित भूमि भू–धारकों/भू–स्वामियों/ कम्पनी/कन्सोर्सियम को आवंटन किये जाने हेतु नीति निर्धारण के सम्बन्ध में प्रस्ताव। 4.4 इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति–2005 एवं 2014 तथा शासनादेश दिनांक 10 दिसम्बर, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत	परिचालन के माध्यम से तत्समय पारित प्रस्ताव दिनांक 29.05.2026 को नियमित बोर्ड बैठक द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

	लाईसेन्स प्राप्त विकासकर्ताओं की विभिन्न परियोजनाओं के डी0पी0आर0 की स्वीकृति के सम्बन्ध में। 4.5 लखनऊ में परिवहन निगम की अवस्थापनाओं के विस्तार हेतु हरदोई रोड बसंत कुंज योजना स्थित सेक्टर–बी में प्रस्तावित भूमि ग्राम छन्दोईया खसरा संख्या–30 (अंश भाग), 31, 32 (अंश भाग) एवं ग्राम बरावन खुर्द खसरा संख्या–393 (अंश भाग), कुल क्षेत्रफल–0.75 हे0 का प्रभावी लखनऊ महायोजना–2031 (संशोधित कन्वर्जन) में भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में। 4.6 लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना की भूमि का भू–उपयोग 'कृषि क्षेत्र' से 'आवासीय' भू–उपयोग में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में। 4.7 डॉ राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के नवीन परिसर सेक्टर–7, गोमती नगर विस्तार (शहीद पथ) लखनऊ के निकट संस्थान के अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवाएं की स्थापना हेतु गोमती नगर विस्तार योजना स्थित सेक्टर–7 अन्तर्गत भूखण्ड संख्या–7 /33 के पूर्व दिशा में स्थित भूमि को तलपट मानचित्र में पुनर्नियोजन करते हुए तलपट मानचित्र के संशोधन के सम्बन्ध में। 4.8 बटलर पैलेस, लखनऊ पर निवास कर रहे निवासियो के विस्थापन के सम्बंध में।	
188/5	**परिचालन के माध्यम से पारित 01 प्रस्ताव दिनांक 29.07.2026 का पुष्टिकरण :–** 5. मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नई शहर प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत वशिष्ठ नगर योजना विकसित किये जाने के सम्बन्ध में। **परिचालन के माध्यम से पारित 07 प्रस्ताव दिनांक 22.08.2026 का पुष्टिकरण :–** 5.1 प्राधिकरण द्वारा संचालित नवीन योजनाओं के भूमि अधिग्रहण एवं विकास कार्यो के संशोधित बजट प्राविधान स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में। 5.2 प्राधिकरण की विभिन्न नवीन आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत ग्राम समाज की भूमि तथा लैण्ड पूलिंग/समझौते से क्रय भूमियों पर स्थित अवसंरचनाओं के भुगतान के सम्बन्ध में। 5.3 प्राधिकरण की आवासीय योजनाओं/परियोजनाओं के उपयोगार्थ सहमति के आधार पर क्रय/लैण्ड पूलिंग/अर्जन के माध्यम से भूमि जुटाव के सम्बन्ध में। 5.4 प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के तलपट मानचित्रों के संशोधन/पुनर्नियोजन के सम्बन्ध में।	परिचालन के माध्यम से तत्समय पारित प्रस्ताव दिनांक 29.07.2026 एवं दिनांक 22.08.2026 को नियमित बोर्ड बैठक द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

	5.5 इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति–2005 व 2014 तथा उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति–2023 के अन्तर्गत डी0पी0आर0 की स्वीकृति के सम्बन्ध में। 5.6 राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद को आवंटित भूमि 40697.59 वर्गमी0 के स्थान पर बढ़े हुए क्षेत्रफल 5003 वर्गमीटर अतिरिक्त भूमि की संशोधित गणना तथा राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद को पूर्व में बसंतकुंज योजना वर्ष 1997 में फल एवं सब्जी मण्डी की अवशेष 02 एकड़ भूमि, वर्ष 2000 में दुबग्गा विस्तार योजना में मण्डी समिति की अवशेष 13.35 एकड़ भूमि एवं मछली मण्डी की 05 एकड़ भूमि कुल 20.358 एकड़ भूमि बसंतकुंज योजना के सेक्टर–बी में आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में। 5.7 प्राधिकरण की भूमियों को अन्य विभागों के अति–आवश्यक कार्यों हेतु निःशुल्क आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।	
188/6	6.1 उ0प्र0 नगर योजना और विकास (भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2026 को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में। 6.2 दूर संचार विभाग, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 17.09.2024 को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
188/7	इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति–2005 व 2014 तथा उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति–2023 के अन्तर्गत डी0पी0आर0 की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	सम्यक विचारोपरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा मे0 श्रीराज इन्फ्रा हाउसिंग प्रा0लि0, मे0 एसमैप बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्रा0लि0 एवं मे0 ए0एन0एस0 डेवलपर्स प्रा0लि0 के डी.पी.आर. स्वीकृति एवं समयवृद्धि का प्रस्ताव इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया है कि उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण नियमानुसार स्वयं समाधान कर लें कि विकसित/अविकसित क्षेत्र का निर्धारण शासनादेश में निर्दिष्ट प्राविधानों के अनुरूप हैं।
188/8	लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के अन्तर्गत अच्छादित वरूण विहार एवं नैमिष नगर की भूमि का भू–उपयोग 'कृषि क्षेत्र' से 'आवासीय' भू–उपयोग में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक विचारोपरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा भू–उपयोग परिवर्तन सम्बन्धी प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
188/9	9.1 नन्दाखेड़ा काम्पलेक्स, तालकटोरा रोड, ऐशबाग के तलपट मानचित्र के पुनर्नियोजन के सम्बन्ध में। 9.2 प्रियदर्शिनी योजना, सेक्टर–सी के तलपट मानचित्र में संशोधन के सम्बन्ध में।	सम्यक विचारोपरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा तलपट मानचित्र के संशोधन पर प्रस्तावानुसार अनुमोदन प्रदान किया गया। सम्यक विचारोपरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा तलपट मानचित्र के संशोधन पर प्रस्तावानुसार अनुमोदन प्रदान किया गया।

	9.3 वरूण विहार आवासीय योजना के अन्तर्गत फेज–2 के तलपट मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में। 9.4 नैमिष नगर आवासीय योजना को विकसित करने हेतु तैयार करायी गयी योजना के फेज–02 ले–आउट प्लान के अनुमोदन के सम्बन्ध में।	मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के अन्तर्गत वरूण विहार एवं नैमिष नगर योजना विकसित करने के लिए रेरा रजिस्ट्रेशन एवं इन्वायरमेन्ट क्लीयरेन्स प्राप्त करने हेतु स्वीकृत तलपट मानचित्र की आवश्यकता होती है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा वरूण विहार एवं नैमिष नगर योजना के द्वितीय फेज की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्न शर्तो के साथ प्रदान की गयी – 1. समस्त सामुदायिक एवं जन सुविधाएं प्राधिकरण की स्वामित्व प्राप्त भूमि पर प्रस्तावित की जाय। 2. तलपट मानचित्र केवल उसी भूमि पर प्रभावी होगा जिसका प्राधिकरण को निर्विवादित स्वामित्व प्राप्त होगा। उपरोक्तानुसार प्राधिकरण बोर्ड द्वारा तलपट मानचित्र पर सैद्धान्तिक स्वीकृत प्रदान करते हुए संशोधन एवं अग्रेतर कार्यवाही हेतु उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को अधिकृत करने का निर्णय लिया गया।
188/10	वरूण विहार एवं नैमिष नगर हेतु बैंक ऑफ इण्डिया, ईमर्जिंग कोरपोरेट क्रेडिट ब्रान्च, नवल किशोर रोड, हजरतगंज, लखनऊ से रू0 1000 करोड़ ऋण लिये जाने के सम्बन्ध में।	वरूण विहार एवं नैमिष नगर हेतु बैंक ऑफ इण्डिया, ईमर्जिंग कोरपोरेट क्रेडिट ब्रान्च, नवल किशोर रोड, हजरतगंज, लखनऊ से रू0 1000 करोड़ ऋण तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित रू0 400.00 करोड़ (आवश्यकतानुसार आहरण किया जायेगा) ऋण लिये जाने की औपचारिक स्वीकृति प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से प्रदान की गई।
188/11	लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय में "अर्बन चैलेंज फण्ड योजना" (UCF) योजनान्तर्गत प्रेषित किये गये कार्यो की वित्त पोषण के सम्बन्ध में।	प्रस्तुत प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
188/12	वित्तीय वर्ष 2026–27 के अनुमानिक आय–व्ययक के सापेक्षस माह अक्टूबर–2026 तक वास्तविक आय–व्ययक एवं वित्तीय वर्ष 2026 –27 के पुनरीक्षित आय–व्ययक तथा वित्तीय वर्ष 2027–28 (प्रथम त्रैमास) के आय–व्यय पर विचार।	वित्तीय वर्ष 2026–27 के अनुमानिक आय– व्ययक के सापेक्ष माह अक्टूबर–2026 तक वास्तविक आय–व्ययक एवं वित्तीय वर्ष 2026 –27 के पुनरीक्षित आय–व्ययक तथा वित्तीय वर्ष 2027–28 के (प्रथम त्रैमास) हेतु अनुमानित आय–व्ययक प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
188/13	प्रबन्ध नगर योजना में न्यायालय भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण, लखनऊ मण्डल, लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.09.2026 के अनुसार प्रतिकर की दर का निर्धारण किसानों द्वारा प्रस्तुत समझौते के आधार पर पारित आदेशानुसार भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। इस सम्बन्ध में प्राधिकरण स्तर पर अपर सचिव–टी ल0वि0प्रा0, की अध्यक्षता में गठित समिति की अनुसंशा एवं प्राधिकरण में आबद्ध कन्सल्टेंटस के द्वारा दी गयी Financial Report से स्पष्ट है कि यह योजना आर्थिक रूप से प्राधिकरण के हित में व्यवहार्य है। अपर महाधिवक्ता, उ0प्र0 सरकार तथा प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ता के विधिक अभिमत से भी स्पष्ट है कि मा0 न्यायालय भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण, लखनऊ मण्डल, लखनऊ के आदेश का अनुपालन का निर्णय लेने में

		प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष कोई विधिक बाधा नहीं है। अतः निम्न शर्तों के अधीन मा0 लारा पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण, लखनऊ मण्डल, लखनऊ न्यायालय के आदेश का दिनांक 28.09.2026 के अनुपालन किये जाने तथा उक्त आदेश में मा0 न्यायालय द्वारा निर्धारित दर के आधार पर योजना में अधिग्रहित भूमि के मुआवजे के वितरण की कार्यवाही कृषकों के सहमति के आधार पर किये जाने का निर्णय लिया जाना है :– A. मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ के समक्ष प्रस्तावित प्रबंध नगर योजना के सन्दर्भ में विचाराधीन रिट याचिका संख्या–7712/एम0बी0 /2008 लताफत हुसैन व अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य व अन्य रिट याचिकाओं में अन्तिम निर्णय पारित होने पर ही लारा कोर्ट के निर्णय के अनुसार निर्धारित प्रतिकर के भुगतान एवं उसकी प्रक्रिया निर्धारित करने हेतु उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 को अधिकृत किया जाये। B. यदि किसी भू–स्वामी द्वारा लारा कोर्ट के निर्णय के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय में अपील दाखिल की जाती है तथा मा0 उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिकर की धनराशि को और बढ़ाया जाता है, तो सम्पूर्ण प्रकरण को पुनः बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाये। C. सम्बन्धित किसानों को प्रतिकर का भुगतान किये जाने में आवासीय भू–उपयोग की भूमि को प्राथमिकता दी जाये। D. प्रबंध नगर योजना के अंतर्गत आच्छादित भूमि के नामान्तरण को प्राथमिकता दी जाये तथा ग्राम समाज की भूमि का भी पैरवी कर पुर्नग्रहण कराया जाए। E. प्राधिकरण की वित्तीय पक्षों के दृष्टिगत उचित रहेगा कि इस योजना को मा0 मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण के अंतर्गत वित्त पोषण करने हेतु शासन से अनुरोध किया जाये। यदि किन्ही परिस्थितियों में मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण के अन्तर्गत उपरोक्त योजना पर स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है, तो क्रियान्वयन हेतु उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 को अधिकृत किया जाये। उपरोक्त प्रस्तुत प्रस्ताव के अतिरिक्त अन्य किसी भी सक्षम न्यायालय मे लम्बित/ प्रचलित वादों के परिपेक्ष्य में प्राधिकरण हित को सर्वोपरि रखते हुए मा0 न्यायालय के निर्णय उपरान्त आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। उपरोक्तानुसार प्रस्ताव सर्वसम्मत्ति से बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया।
188/14	जनपद लखनऊ में वार म्यूजियम व कन्वेनशन सेन्टर के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।	प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तृत विचार–विमर्श के दौरान बोर्ड को अवगत कराया गया कि विगत 30 वर्षो से शहर के मध्य रिक्त पड़ी विवादित भूमि पर सेना तथा प्राधिकरण के मध्य चल रहे इस विवाद के कारण कोई विकास संभव नहीं हो पाया है। इस परिपेक्ष्य में भारतीय सेना द्वारा प्रस्तुत संशोधित

		प्रस्ताव के क्रम में यदि भारतीय सेना का वार म्यूजियम एवं कन्वेशन सेन्टर का निर्माण सेना से प्राप्त व्यवसायिक भूमि की विक्रय मूल्य से किया जाता है तो प्राधिकरण को किसी भी प्रकार की वित्तीय हानि नहीं होगी तथा साथ ही शहर का विकास भी होगा। एजेन्डा प्रस्ताव में उल्लिखित 14.00 एकड भूमि, जो नगर निगम लखनऊ के उपयोग में है, जिसे रिक्त कराकर सेना को दिया जाना है, के बारे में नगर निगम लखनऊ का भी मत ले लिया जाये। उपरोक्त के आलोक में बोर्ड द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रकरण शासन को सन्दर्भित किए जाने के निर्देश दिये गये।
188/15	श्री अखिलेश बिहारी श्रीवास्तव के पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या–1/214, विराम खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ के स्थान पर मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश के क्रम में भूखण्ड संख्या–2/51–के, विराज खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मत्ति से बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया।
188/16	लखनऊ विकास प्राधिकरण के विभिन्न कार्मिकों के स्वयं के चिकित्सा पर व्यय धनराशि की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मत्ति से बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया।

बोर्ड बैठक के दौरान श्री पुष्कर शुक्ला एवं श्री पी0एन0 सिंह, सदस्य द्वारा जो सुझाव दिये गये हैं उनके सम्बन्ध में यथासमय कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

अन्त में उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक समाप्ति की घोषणा की गयी।

(एस0पी0 सिंह)
सचिव,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

(प्रथमेश कुमार)
उपाध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

अनुमोदित

(विजय विश्वास पन्त)
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण
एवं आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।